

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज जिला सिरौही
बड़जलास शकुंतला चौधरी, आर0ए0एस0

वादीगण
सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

बनाम

प्रतिवादीगण
1. नारायण पुत्र कालू जाति ढोली
निवासी खीमाडा(बाली)
2. किस्तूरचंद पुत्र गलबाजी जाति घांची
निवासी शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र- 56/2010

—:संशोधित-निर्णय/डिक्री:-
(अर्थात् अन्तर्गत धारा 152 एफ.ए.)

दिनांक 22.08.2024


वादी सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र क्रमांक राजस्व कोर्ट/2001/630 दिनांक 6.8.2001 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 175 आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादीगण पेश किया था जिस पर इस न्यायालय में निर्णित राजस्व वाद प्रकरण सं0 56/2010 में स्टेट जरिये तहसीलदार शिवगंज बनाम नारायण व अन्य अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 24.08.2011 में पारित निर्णय व डिक्री जारी की गई थी जिसमें ग्राम खेजडिया पटवार क्षेत्र केसरपुरा तहसील शिवगंज में सहवन से खसरा नम्बर 66 लिखा गया है जबकि वास्तव में उक्त कृषि आराजी के खसरा नं0 77 है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री में वर्णित ग्राम खेजडिया के खसरा नं0 66 की जगह खसरा नम्बर 77 पढा जावे शेष निर्णय व डिक्री यथावत रहेगी।


यह संशोधन आज दिनांक 22.8.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।



क्रमांक/कोर्ट/2024/ 485
प्रतिलिपि:-

तहसीलदार शिवगंज को उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/712 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में 07 दिवस में नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु प्रेषित है।


(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरौही)
दिनांक 22.08.2024


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज (सिरौही)

